कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-१-८६/ 3215

दिनांक फरीदाबाद 7.9.86

बी०एम० मिडल स्कूल, जवाहर कालोनी, फरीदाबाद एन आई टी को माध्यमिक स्तर (कक्षा पहली से आठवीं तक) तक १-४-८६ से स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

एस०एस० राघव
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

१- प्रबन्धक, बी०एम० मिडल स्कूल, जवाहर कालोनी, फरीदाबाद

२- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

३- निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

४- सर्व ज़िला शिक्षा अधिकारी, राज्य में।

५- उप मण्डल शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद एवं पलवल

६- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ज़िला में।

ज़िला शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद।

(27)

<u>ककर्यालय निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़</u>

आदेश क्रमांक 23/83-89 वि.T (5) दिनांक 20.9.93

वी.एम. उच्च विद्यालय, फरीदाबाद को दिनांक 1.4.93 से दसवी तक की स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय भावी नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा पूरा करेगा ।
2. विद्यालयों के प्रबन्धक पदों एवं अनुदान की मांग नहीं करेंगे और पूरा खर्चा अपने साधनों से करेंगे ।

एस. के. जोशी
अपर निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

पृष्ठाकंन क्रमांक सम दिनांक 21-9-93

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी ज़िला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य
2. चेयरमैन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी
3. अधीक्षक एन.एफ सी. शाखा (स्थानीय)
4. ~~अधीक्षक सैकेण्डरी शिक्षा शाखा~~
5. मुख्य लेखा अधिकारी (वि0) स्थानीय
6. आंकड़ा अधिकारी, स्थानीय
7. मैनेजर, वी.एम.उच्च विद्यालय, फरीदाबाद
8. विद्यालय-I शाखा सहायक 3 एवं 6

(signature) 21-9-93
अधीक्षक विद्यालय I
कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

प्रेषक:

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,

फरीदाबाद ,

यादी क्रमांक 5/10-95 सै०शि० ।ा ।

दिनांक: चण्डीगढ़ 25-1-97

निषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान ...

====

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत ... निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश को देखते हुए बी० एस० वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जवाहर कालोनी फरीदाबाद को शैक्षिक सत्र 1997-98 से 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में जमा 1 तथा जमा 2 कक्षाओं में आर्टस, कॉमर्स ~~तथा विज्ञान~~ संकीय प्रारम्भ करने की स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि इत्यादि की मांग नहीं करेंगें और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं को वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएं अपने खर्च पर ही उपलब्ध करायेंगें ।

2. 10 जमा 2 शिक्षण प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होने एम०ए०/एम०एस०सी०/एम० काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा सह-शिक्षण के लिए विभागीय शर्तो की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ।

3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।

सx

.....2....

4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे, इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।

5. विद्यालय को हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा ।

6. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अथवा संकाय शुरू किये जायेंगे जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों/निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

11. स्टाफ को वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जायेगा ।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेंगी ।

13. संस्था में कार्यरत स्टाफ का छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में प्लैज करवाई जायेगी ।

14. विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जायेगी ।

SM

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

पृ० क्रमांक: सम दिनांक: 24-1-97

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक डी. एम. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जवाहर कालोनी फरीदाबाद
2. सचिव, हरियाणा ~~xxxxx~~ विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

B.N. Bhalla 24.1.97

~~उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा~~
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।